राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

-:: निर्णय ::-

हेमराज : बनाम : जगमाल सिंह वगै.

एकल पीठ सिविल प्रथम अपील संख्या: **79/1986**

* * * * *

निर्णय दिनांक : 25 जनवरी, 2006

-: उपस्थित

माननीय न्यायाधिपति श्री कृष्णकुमार आचार्य

अपीलाण्ट के अधिवक्ता श्री पवन ओझा,
रेस्पोंडेण्ट के अधिवक्ता श्री बी.एन.कल्ला।

न्यायालय द्वारा :

यह अपील जिला न्यायाधीश, चुरू के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 2.5.1986 की नाराजगी में प्रतिवादी-अपीलाण्ट हेमराज द्वारा प्रस्तुत की गई है।

तथ्य प्रकरण के संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मृतक नन्दलाल ने प्रतिवादी हेमराज के खिलाफ एक वाद रू.17,187.50 पैसे की वसूली के लिए प्रोनोट व रसीद के आधार पर प्रस्तुत किया था। वाद के लम्बन के दौरान नन्दलाल की मृत्यु हो गई जिसके कायम मुकाम रेकर्ड पर लिए गए, जो अभी रेस्पोंडेण्ट हैं। वादी का कथन है कि प्रतिवादी हेमराज ने दिनांक 24.2.1975 को मृतक नन्दलाल से 11,000/- नगद उधार लिए जो 1.56 रूपए

प्रतिशत मासिक ब्याज देना स्वीकार किया। उसी रोज प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त प्रोनोट प्रदर्श 1 व रसीद प्रदर्श 2 निष्पादित की है। मूल रकम व ब्याज पेटे प्रतिवादी द्वारा कोई भी रकम की अदायगी नहीं की गई, अत: दावा पेश किया गया व मय ब्याज व खर्चे के डिक्री चाही गई।

प्रतिवादी ने दिनांक 24.2.1975 को उपरोक्त राशि उधार लेने से इनकार किया व प्रोमेसरी नोट व रसीद के निष्पादन से भी इनकार किया। जवाब में यह भी जाहिर किया कि 8.3.1972 को मृतक नन्दलाल से 7,000/- रूपए उधार लिए व उसके बदले एक प्रोनोट व रसीद अब्दुल रहमान से लिखवाकर निष्पादित किए थे व इसी उधार की रकम के पेटे अपनी जमीन भी प्रतिवादी ने नन्दलाल के पास काश्त करने के लिए रहन रखी थी। नन्दलाल द्वारा काश्त जमीन पर की जाकर उस रकम की वसूली की जा चुकी है और कोई रकम बकाया नहीं है। यह भी आपत्ति ली गई कि विवादित प्रोनोट साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। अत: मय विशेष हर्जाने के दावा खारिज करने की इस्तदुआ की।

उपरोक्त अभिवचनों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने निम्नलिखित तनकियात कायम की गई :

1. आया वादीगण के पिता नन्दलाल (मृतक) से प्रतिवादी ने ता० 24.2.75 को 11,000) रू० कर्ज लिये तथा इनको 1) रू० सैकड़ा माहवार सुद की दर से अदा करने का इकरार करते हुए प्रोनोट मिनाते नालिश व रसीद तहरीर व तकमील की
--वादी

2. आया दस्तावेज मिनाते नालिश पर रेवन्यु स्टाम्प व शरणार्थी स्टाम्प पूरा नहीं लगाया है तथा इस वजह से यह साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है
--प्रति

3. आया वादीगण प्रतिवादी से मद नं० 10 जवाबदावा में वर्णित तथ्यों के कारण नाजायज रकम वसूल करना चाहते हैं?

--प्रति०

4. आया प्रोनोट मिनाते नालिश बेसिस ओफ सूट नहीं हो सकता?

--प्रति०

5. दादरसी क्या होगी"

तनकी नम्बर 2 व 4 कानूनी होने से इन पर अलग से बहस सुनी गई और दिनांक 2.3.1979 को उपरोक्त दोनों तनकियात का निर्णय वादी के पक्ष में इस प्रकार किया गया कि रसीद पर 1/- रूपए पेनल्टी जमा कराने पर यह साक्ष्य में ग्राह्य होगी। प्रोमेसरी नोट पर शरणार्थी स्टाम्प का लगाना आवश्यक नहीं था और उचित स्टाम्प पाया गया और साक्ष्य में ग्राह्य होना पाया गया। तनकी नम्बर 4 भी इसी प्रकार से तय की गई कि प्रोमेसरी नोट के आधार पर दावा क्यों नहीं किया जा सकता, प्रतिवादी नहीं बता पाया और यह प्रतिवादी के विरूद्ध तय की गई।

इसके बाद दोनों पक्षों की साक्ष्य कलमबन्द की गई। वादी की ओर से अपनी साक्ष्य में पी.ड.1 जगमाल सिंह, पी.ड.2 अमरसिंह व पी.ड.3 अली मोहम्मद के बयान कराए और प्रदर्श 1 प्रोमेसरी नोट व प्रदर्श 2 रसीद भी दस्तावेजात के रूप में पेश किए गए। प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य में डी.ड.1 हेमराज, डी.ड.2 जलेसिंह, डी.ड.3 धनराज व डी.ड.4 अब्दुल रहमान के बयान कराए व प्रदर्श ए.1 व ए.2 दस्तावेजात भी अपनी साक्ष्य में पेश किए।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद तनकी नम्बर 1 व 3 का निर्णय वादी के पक्ष में किया। 11,000/- रू. मूल व दावे की तारीख तक ब्याज 3,000/- रू. कुल 14,000/- रूपए की डिक्री मय ब्याज व

खर्चा के प्रतिवादी के विरूद्ध पारित की, जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की गई।

इस अपील में दोनों पक्षों की बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया व विचार किया।

योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट का मुख्य तर्क इस अपील में यही रहा कि 11,000/- रूपए नगद कर्ज नहीं दिए गए थे, वास्तव में सौदा पुराने हिसाब का था। 8.3.1972 को 7,000/- रूपए स्वर्गीय नन्दलाल से प्रतिवादी ने उधार लिए थे और इकरार नामा दिनांक 8.3.1972 को लिखा गया था और इसके जरिए प्रतिवादी ने खसरा नम्बर 51 की 15 बीघा 3 बिसवा भूमि व खसरा नम्बर 26 की 15 बीघा भूमि काश्त के लिए स्व. नन्दलाल को दी थी। प्रोमेसरी नोट और इकरार नामा अब्दुल रहमान डीड राईटर से लिखाया था, इसको साक्ष्य में पेश किया है। इस प्रकार पुराने लेनदेन के तथ्य को वादी छिपाकर आए हैं। 11,000/- रूपए कभी भी नगद नहीं लिए गए न प्रोमेसरी नोट व रसीद ही लिखना स्वीकार किया है। उनका तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी के उपरोक्त कथन, जो जवाबदावे के पैरा 10 में लिए गए थे, का सही रूप से विवेचन नहीं किया न प्रतिवादी की साक्ष्य का सही नतीजा निकाला है। उनका तर्क रहा कि प्रतिवादी के स्वयं के बयान, जलेसिंह, धनराज और अब्दुल रहमान के बयानो से यह स्पष्ट प्रमाणित हुआ है कि 7,000/- रूपए कर्ज लिया गया था और 30 बीघा जमीन व 15 बीघा जमीन नन्दलाल के यहां रहन रखी गई थी। उनका तर्क है कि वादी की मृत्यु हो चुकी है और वादी के कायम मुकाम जगमाल सिंह से इस सम्बन्ध में जिरह भी की गई है और पुराने हिसाब के बारे में उसे जानकारी

नहीं होना मात्र बताया है। इस प्रकार 7,000/- रूपए की लिखा पढ़ी व खाते के सम्बन्ध में वादी ने कोई भी सही तरदीद नहीं दी है और मात्र जानकारी नहीं होना कहा है। इस प्रकार उनका तर्क है कि वादी की साक्ष्य से 11,000/- रोकड़ कर्ज देना व प्रदर्श 1 प्रोमेसरी नोट व प्रदर्श 2 रसीद प्रतिवादी द्वारा तहरीर व तकमील करना कतई प्रमाणित नहीं माना जावे और प्रतिवादी ने स्पष्ट रूप से 11,000/- रूपए रोकड़ कर्ज लेना व प्रोमेसरी नोट तहरीर व तकमील करने से इनकारी की है।

इसके विपरीत योग्य अभिभाषक रेस्पोंडेण्ट द्वारा तर्क रहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी एवं प्रतिवादी, दोनों की साक्ष्य के मूल्यांकन के बाद स्पष्ट रूप से नतीजा निकाला है कि 11,000/- रूपए नगद दिए गए व प्रदर्श 1 प्रोमेसरी नोट व प्रदर्श 2 रसीद स्वर्गीय नन्दलाल के पक्ष में प्रतिवादी द्वारा तहरीर व तकमील किया था। आर एल डब्ल्यू 1970 पेज 470 विनिश्चय व धारा 118 परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रावधानों को देखते हुए उनका तर्क रहा कि यदि प्रोमेसरी नोट का निष्पादन रेकर्ड पर प्रमाणित होता है तो प्रतिवादी पर यह भार जाता है कि वह प्रमाणित करे कि बिना बदल है। प्रतिवादी 1972 में 7,000/- रूपए मृतक नन्दलाल से उधार लेने की साक्ष्य लेकर आया है और अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों ही पक्षों की साक्ष्य के मूल्यांकन के बाद प्रतिवादी की साक्ष्य को विश्वसनीय नहीं पाया और वादी की साक्ष्य को सम्भावित पाया गया। यह प्रदर्श 1 व 2 प्रोमेसरी नोट व रसीद प्रतिवादी ने निष्पादित किए थे और 11,000/- रूपए नगद दिए गए थे। उनका तर्क है कि उपरोक्त तनकियात के निर्णय में हस्तक्षेप के आधार नहीं है।

मेरे द्वारा रेकर्ड का अवलोकन किया गया। वादी का स्पष्ट कथन यही रहा है कि 11,000/- रूपए प्रतिवादी को 24.2.1975 को नगद दिए व प्रदर्श 1 प्रोमेसरी नोट व प्रदर्श 2 रसीद वादी के पक्ष में प्रतिवादी ने तहरीर व तकमील की। प्रतिवादी ने 11,000/- रूपए नगद कर्ज लेने से इनकारी की है और न ही 1.56 प्रतिशत मासिक ब्याज देना स्वीकार किया और न ही 11,000/- रूपए नगद लेने बाबत कोई लिखा पढ़ी कराई। प्रतिवादी का मात्र यही कथन रहा कि 6 साल पहले 7,000/- रूपए रोकर्ड कर्ज लिए थे और 30 बीघा कृष्रि भूमि वादी के यहां रहन रखी थी, जिसे 6 साल से वादी ही काश्त करता है। 7,000/- रूपए लिए जब शर्त तय हुई कि वादी इस रकम पर ब्याज लेगा और प्रतिवादी को आधा हिस्सा फसल देगा, मगर वादी ने कभी हिस्सा नहीं दिया। वादी ने खेत का लाभ भी प्राप्त कर लिया एवं नाजायज रूप से रकम वसूल करना चाहता है। वादी की रकम जमीन के लाभ पेटे समाप्त हो चुकी है और कर्चा कोई बकाया नहीं रहा है। वादी ने अपनी साक्ष्य में पी.ङ 1 जगमाल सिंह के बयान कराए हैं, जिसका स्पष्ट कथन है कि हम चार भाई हैं जिनके नाम जगमाल सिंह, ईश्वर सिंह, सतबीर सिंह और जयसिंह है। उसकी मां का नाम नानड़ी है और चार बहने हैं जो धर्मा, चन्दवती, सावित्रि और सुमित्रा है। उसके पिता से प्रतिवादी हेमराज ने फरवरी, 1975 में 11,000/- रूपए नगद कर्ज लिए थे। एक रूपया नौ आना सैकडा माहवारी ब्याज देना भी तय किया था। इसकी लिखा पढ़ी कराई जो राजगढ़ के अर्जीनवीस अली मोहम्मद ने की थी। उसके पिता ने रूपए दिए तब उसके पिता व हेमराज के अलावा मूलसिंह, मनरूप और वह स्वयं मौजूद था। प्रदर्श 1 प्रोमेसरी नोट व प्रदर्श 2 रसीद है। मनरूप गवाह ने

प्रदर्श-2 रसीद पर अपना अंगूठा लगाया था। हेमराज प्रतिवादी ने भी प्रदर्श 1 व 2 पर एक्स स्थान पर अंगूठे लगाये थे। प्रदर्श 2 रसीद पर अमरसिंह ने ए से बी हस्ताक्षर किए। प्रदर्श 2 पर वाई स्थान पर मनरूप का अंगूठा है। 11,000/- रूपए असल या ब्याज पेटे कुछ भी प्रतिवादी ने पिता को अदायगी नहीं की न हमें की है। इस गवाह से विस्तृत जिरह की गई है, मगर उसका कथन है कि उस समय वह स्वयं अध्यापक था, वार, तिथि तारीख व मिती याद नहीं है। गांव से रोजाना घर आया करता था। सुबह 9 बजे करीब रूपए उधार दिए थे। अमरसिंह व मनरूप भैंस लेने के लिए आए हुए थे। प्रतिवादी हेमराज उनके गांव का ही है। हेमराज अपने साथ किसी गांव के आदमी को नहीं लाया न गांव के आदमी बुलाए। जिस रोज रूपए दिए उसी रोज राजगढ जाकर प्रोनोट लिखा लिया था, जो 12 बजे लिखा गया था। रूपये देने से पहले प्रतिवादी का कोई लेनदेन उसके पिता के साथ था या नहीं, उसे पता नहीं, वैसे इनमें गाढ़ा प्रेम था। अमरसिंह व मनरूप भी साथ ही आए थे। वह स्वयं भी साथ था। 11,000/- रूपए पिता ने अपने पास से दिए थे। उसके सामने यह बात नहीं आई कि 1972 में सात हजार रूपए उसके पिता ने प्रतिवादी को दिए हों और उसकी लिखा पढ़ी भी अर्जीनवीस से करवाई हो। उसके पिता की कोई बही नहीं थी। उनके ोतों के पास प्रतिवादी का कोई खेत नहीं है। इस बात से इनकार करता है कि 11,000।- प्रतिवादी को नगद नहीं दिए हों। प्रदर्श 1 व प्रदर्श 2 के जरिए कथित सात हजार रूपए 1972 में दिए गए थे। इस प्रकार इसकी पूरी जिरह में वादी नहीं हिलाया जा सका है। गवाह अमरसिंह व मनरूप अवश्य दूसरे गांव के थे जो भैंस लेने वहां आए हुए थे, जिनके सामने यह तमाम

कार्यवाही हुई है। खेत गिरवी रखा गया हो और फसल का लाभ वादी ने लिया हो, इस सम्बन्ध में जिरह में एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया है। सात हजार रूपए का प्रोमेसरी नोट व रसीद अलग से पूर्व में लिखाया गया हो, इस सम्बन्ध में भी स्पष्ट जिरह नहीं की गई है, बल्कि प्रदर्श 1 व 2 1972 में तहरीर व तकमील करने के बारे में जिरह की गई है और सात हजार रूपए उस समय लेना स्वीकार भी किया गया है, जबकि यह प्रोमेसरी नोट व रसीद 1975 की है न कि 1972 की। वादी पूर्व के लेनदेन को इन प्रदर्श 1 व 2 के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहा है। रहन नामे का कोई इकरार नामा तक पेश नहीं हुआ न वादी से जिरह में कोई प्रश्न इस सम्बन्ध में पूछा गया है। मात्र हेमराज के खेत है, यह अवश्य पूछा गया है। यह खेत कभी भी वादी के यहां गिरवी रखे गए हों या इकरार नामा इसक लिखा गया हो, जिरह नहीं की गई।

इसके बाद पी.ड॰2 अमरसिंह के बयानों का अवलोकन करें। उसने अपने बयानो में स्पष्ट रूप से कहा है कि वह हेमराज व जगमाल वादी के पिता नन्दलाल को जानता है। जगमाल को भी जानता है। नन्दलाल की मृत्यु हो चुकी है। संवत् 2031 में प्रतिवादी हेमराज ने नंदलाल से 11,000/- रूपए नगद कर्ज लिए थे, तब माह का महिना था। एक रूपया नौ आना सैकड़ा माहवार ब्याज तय हुआ था। नन्दलाल के घर पर यह रूपये हेमराज को दिए गए थे, उस समय नन्दलाल, प्रतिवादी हेमराज, जगमाल वह और मनरूप मौजूद थे और इसकी लिखा पढ़ी राजगढ़ में अर्जीनवीस के यहां करवाई गई थी जो प्रदर्श 1 व 2 है। प्रदर्श 2 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। इन दोनों दस्तावेजों पर हेमराज ने अपना अंगूठा लगाया। मनरूप ने

भी अपना अंगूठा लगाया था जो उसके सामने लगाया। इस गवाह से भी विस्तृत में जिरह हुई, जिसका मेरे द्वारा अवलोकन किया गया। वह और मनरूप राजगढ़ साथ गए थे, जहां लिखा पढ़ी की गई थी। हेमराज व नन्दलाल के पुराना लेनदेन अवश्य था, यह स्वीकार करता है। पहले जब भी कभी हेमराज को जरूरत होती थी वह नन्दलाल से रूपए ले जाता था। इस बात से इनकार करता है कि उसके सामने 11,000/-" रूपए नहीं दिए गए हों और उसके सामने प्रदर्श 1 व 2 नहीं लिखे गए हों। इस प्रकार यह गवाह पुराना लेनदेन होना अवश्य बताता है मगर 11,000/- रूपए का प्रोमेसरी नोट व रसीद भी लिखना अपने बयानो में प्रमाणित करता है और जिरह में हिलाया नहीं जा सका है।

पी.ङ 3 अली मोहम्मद का भी कथन है के प्रदर्श 1 प्रोनोट व प्रदर्श 2 रसीद उसने देखे। यह प्रतिवादी हेमराज के कहने से लिखे थे। उसने हेमराज को पढ़कर सुना दिया, जिसे सही मान कर उसके सामने हेमराज ने एक्स स्थान पर अंगूठे लगाए थे। उसके सामने 11,000/- रूपए नन्दलाल वादी से प्राप्त करने स्वीकार किए थे। प्रदर्श 1 पर उसके हस्ताक्षर सी से डी उसके सामने रूपयों का लेनदेन नहीं हुआ। इस बिन्दु पर वह सत्य बयान करता है क्योंकि रूपए गांव में ही दिए गए थे। 8.3.1972 को सात हजार रूपए नंदलाल ने प्रतिवादी को सात हजार रूपये दिये या नहीं, उसे जानकारी नहीं है न उसे यह बताया गया, न प्रतिवादी ने कुछ रहन रखना बताया। नन्दलाल ने उसके सामने ऐसा कुछ नहीं कहा कि प्रतिवादी का खेत उसके पास रहन है, जो उसने वापस कर दिया है। उसने सात हजार रूपए के वक्त कोई रहन की लिखा पढ़ी नहीं की थी। मगर प्रदर्श 1 व 2 लिखे गए

तब प्रतिवादी का खेत वादी द्वारा काश्त करने की लिखा पढ़ी हुई थी, जो उसने की थी। मगर प्रदर्श 1 व 2 लिखे गए तब कोई खेत रखा गया हो, स्वयं प्रतिवादी का केस नहीं है। 1972 में खेत गिरवी रखने का केस प्रतिवादी लेकर आया है। इस प्रकार इस गवाह ने भी प्रदर्श 1 व 2 का निष्पादन प्रतिवादी का करना पूर्ण रूप से प्रमाणित किया है।

इसके विपरीत प्रतिवादी की साक्ष्य आई है, उसका अवलोकन करें। डी.ड 1 हेमराज का कथन है कि उसका नंदलाल के साथ लेनदेन का व्यवहार था और 10-11 वर्ष पहले उसने सात हजार रूपए नगद उधार लिए थे जिसकी लिखा पढ़ी राजगढ़ में अर्जीनवीस से करवाई, जिसका नाम अब्दुल रहमतान था। इसके बाद कोई नगद रूपए उधार नहीं लिए। सात हजार रूपए के पेटे जमीन गिरवी रखी गई थी जो जमीन नन्दलाल ने 5-6 साल काश्त की जो 30 बीघा जमीन थी। उसने 11,000/- रूपए नगद नहीं लिए। इस बाबत जो कागजात हैं वे पहले वाली रकम के बाबत है। मनरूप के सामने नन्दलाल ने 11,000/- रूपए उसे नहीं दिए। उसे फसल का हिस्सा नहीं दिया गया। जो कागजात लिखे गए, नन्दलाल के पास ही थे। इससे जिरह जो हुई है, उसका अवलोकन करें। जिरह में इसका कथन है कि उसके कुल 40 बीघा जमीन है। जिसकी जमाबन्दी और गिरदावरी उसके नाम होती है। सात हजार रूपए का जो कागज लिखवाया उसकी मिति महिना सम्वत याद नहीं। उसमें ब्याज नहीं लिखाया था। हिस्सा जमीन का लिखाया था और वह कागज स्टाम्प पर लिखा गया था। मनरूप को वह जानता है। प्रदर्श 1 व 2 अली मोहम्मद अर्जी नवीस से लिखवाए थे जो इसने स्वीकार भी कर लिए हैं। अब्दुल रहमान से जो सात हजार रूपए का

कागज लिखाया था उसके दो-तीन महिने बाद अली मोहम्मद से कागज लिखवाए थे। उसे याद नहीं कि अली मोहम्मद से जो कागज लिखवाया था वो 11,000/- रूपए की बाबत था या नहीं और उसमें ब्याज की दर एक रूपया छप्पन पैसे तय हुआ थी या नहीं, इस बारे में वह स्पष्ट बयान नहीं दे पाया है। इस बात से इनकार करता है कि उसने 11,000/- रूपए नगद उधार लिए हों और प्रदर्श 1 व 2 लिखवाए हों। मगर प्रतिवादी की जिरह से यह स्पष्ट हुआ है कि प्रदर्श 1 व 2 अर्जी नवीस अली मोहम्मद से उसने लिखवाए। इस प्रकार जब प्रोमेसरी नोट का निष्पादन करना प्रमाणित हो जाता है तो यह बिना बदल होने के बारे में भार प्रतिवादी पर है कि वह साबित करे कि यह जो बदल प्रोमेसरी नोट बताया गया है वह नहीं था, उससे भिन्न था। प्रतिवादी ने पुराने सात हजार रूपए के लेनदेन को इससे जोड़ने का प्रयास किया है। इस सम्बन्ध में भूमि गिरवी रखने की भी साक्ष्य दी है। मगर किसी प्रकार का कोई इकरार नामा पेश नहीं किया गया न वादी से पेश ही करवाया गया।

डी.ड.2 व डी.ड.3 जलेसिंह व धनराज के अवश्य बयान कराए गए हैं जो मात्र जुबानी साक्ष्य ही इस सम्बन्ध में देते हैं। डी.ड.2 जलेसिंह का कथन है कि सात हजार रूपए प्रतिवादी ने वादी नन्दलाल से लिए थे और 30 बीघा जमीन रहन रखी थी जो साढ़े छः साल बारी में रखी थी उसकी फसल का कोई हिस्सा प्रतिवादी को नहीं दिया गया। मगर जिरह में उसका कथन है कि कोई भी लिखा पढ़ी में उसके दस्तखत नहीं कराए थे। किस साल संवत में हेमराज ने क्या-क्या कर्जा लिया, उसे पता नहीं है। यह मुकदमा सात हजार रूपयों का है, भी उसका कथन है। इस प्रकार यह

गवाह भी पूर्व के सात हजार रूपए और जमीन गिरवी रखने के बारे में मात्र जुबानी साक्ष्य देता है।

इसी प्रकार डी.ड.3 धनराज ने भी इस प्रकार के बयान मुख्य बयानो में दिए हैं। उसका कथन है कि उसे पता नहीं कि जमीन रहन रखने की कोई लिखा पढ़ी हुई या नहीं। उसकी कोई साख नहीं दी गई थी न लिखा पढ़ी पर उसके कोई दस्तखत ही कराए गए थे। सात हजार रूपए देने व रहन नामा लिखते वक्त वह मौजूद भी नहीं था, मात्र उसने जिक्र सुना था। इस प्रकार धनराज मात्र सुनी सुनाई साक्ष्य ही देता है।

डी.ड.4 अब्दुल रहमान अर्जीनवीस 8.3.1972 का रजिस्टर लेकर आया है। वह नन्दलाल व हेमराज ने उससे प्रोमेसरी नोट व इकरार नामा उससे लिखया था जो क्रम संख्या 347 व 348 पर ए बी है। असल रजिस्टर में इन्द्राज ए-2 है। उसके रजिस्टर में हेमराज व नंदलाल का कोई पहिचान चिन्ह व हुलिया दर्ज नहीं है। इस प्रकार इस गवाह से यह बताने का प्रयास किया कि 1972 में सात हजार रूपए लिए तब इकरार नामा लिखा गया, मगर किस बारे में इकरार नामा लिखा गया, यह भी इसके बयान से स्पष्ट नहीं होता।

इस प्रकार उपरोक्त तमाम साक्ष्य के विश्लेषण एं वादी की साक्ष्य से प्रदर्श 1 व 2 प्रोमेसरी नोट व रसीद का निष्पादन प्रतिवादी द्वारा करना और 11,000/- रूपए रोकड़ कर्ज देना वादी की साक्ष्य से पूर्ण रूप से प्रमाणित हुआ है और इसके विपरीत प्रतिवादी ने जो साक्ष्य दी है वह धारा 118 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत जो उपधारणा है, उसकी तरदीद नहीं करती, मात्र वर्ष 1972 में सात हजार रूपए कर्ज लेना बताता है, उसने कोई

अदायगी कभी की हो, अपने बयानो में नहीं बताया। जमीन गिरवी रखी हो उसका कोई भी गिरवी नामा व इकरार नामा पेश नहीं किया न वादी से पेश करवाया। इस प्रकार यह कतई प्रतिवादी की साक्ष्यसे प्रमाणित नहीं होता कि जो प्रोमेसरी नोट में जो बदल लिखा है उससे भिन्नबदल रहा हो या बिना बदल के प्रदर्श 1 व 2 रहे हों।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तमाम परिस्थितियों पर विचार करने के बाद और दोनों पक्षों की साक्ष्य के मूल्यांकन के बाद तनकी नम्बर 1 व 3 का निर्णय वादी के पक्ष में व प्रतिवादी के विरूद्ध किया है, इसमें हस्तक्षेप के कोई आधार नहीं है।

योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट का यह तक्र रहा कि प्रोमेसरी नोट साक्ष्य में ग्राह्य नहीं था क्योंकि इस पर पूर्ण टिकट लगा हुआ नहीं है। इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा तनकी नम्बर 2 व 4 का निर्णय, जो 2.3.1979 को किया गया था,का अवलोकन किया गया। रसीद पर 1/- रूपए पेनल्टी जमा कराने पर यह साक्ष्य में ग्राह्य कर ली गई है। प्रोमेसरी नोट पर शरणार्थी स्टाम्प लगाना जरूरी नहीं था, तनकी नम्बर 2 व 4 के निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निर्णय दिया और उन तनकियात के निर्णय के विरूद्ध कभी कोई चाराजोई पूर्व में अपीलाण्ट द्वारा नहीं की गई। प्रदर्श 1 व 2 साक्ष्य में ग्राह्य किए जा चुके हैं और एक बार जब दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य हो जावें, अपील स्टेज पर उस सम्बन्ध में एतराज लिया जाना कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा असल प्रोमेसरी नोट देखने के बाद तनकियात का निर्णय किया है। प्रोमेसरी नोट पर स्टाम्प नियमानुसार लगे पाए हैं। इस प्रकार अपीलाण्ट के इस एतराज में

भी मैं कोई बल नहीं पाता।

उपरोक्त विवेचन से, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नम्बर 1 से 4 का निर्णय वादी के पक्ष में व प्रतिवादी के विरूद्ध जो किया है, उसमें मैं किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं पाता और दावा वादी डिक्री करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई भी गलती नहीं की गई है और साक्ष्य का मूल्यांकन सही किया है। इस प्रकार, इस अपील में मैं कोई बल नहीं पाता, अत: अपील मय खर्चे खारिज की जाती है।

उपरोक्तानुसार डिक्री पर्चा बनाया जावे।

(न् यायाधिपति कृष् णकुमार आचार्य)

<u>जी.एन.शर्मा</u>